भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1109

25 जुलाई, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष महाविद्यालय

1109. श्री अजय भट्ट:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) स्वतंत्रता के बाद से आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) में पारंपरिक भारतीय चिकित्सा प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए खोले गए स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के महाविद्यालयों सहित आयुष महाविद्यालयों की कुल संख्या कितनी है और देश में उनकी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार, पद्धति-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की तर्ज पर पारंपरिक चिकित्सा के लिए राष्ट्रीय स्तर का कोई शीर्ष आयुष अस्पताल या अनुसंधान संस्थान स्थापित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसा कोई प्रस्ताव वर्तमान में सरकार के विचाराधीन है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार आयुष क्षेत्र में अर्हता-प्राप्त चिकित्सकों, शोधकर्ताओं और विशेषज्ञों की कमी को पूरा करने और आयुष प्रणालियों में उच्च स्तरीय अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष योजना या कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (आईएमसीसी) अधिनियम, 1970 ने आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी पद्धतियों में शिक्षा एवं पद्धतियों को विनियमित करने के लिए भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (सीसीआईएम) की स्थापना की। इसी तरह, होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973 ने होम्योपैथी की शिक्षा एवं पद्धति को विनियमित करने के लिए केंद्रीय होम्योपैथी परिषद (सीसीएच) का गठन किया। सोवा रिग्पा चिकित्सा पद्धति को दिनांक 16.12.2011 की राजपत्र अधिसूचना संख्या 2345 के अनुसार वर्ष 2012 से भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद में शामिल किया गया है। वर्ष 2020 में, केंद्र सरकार ने भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिये भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएसएम) अधिनियम, 2020 अधिनियमित किया और भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (आईएमसीसी) अधिनियम, 1970 को निरस्त कर दिया, इसी प्रकार, होम्योपैथी के लिए राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (एनसीएच) अधिनियम, 2020 अधिनियमित किया और केंद्रीय होम्योपैथी परिषद (सीसीएच) अधिनियम, 1973 को निरस्त कर दिया। इसके फलस्वरूप, संबंधित अधिनियमों के तहत भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएसएम) और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (एनसीएच) का गठन किया गया। देश भर में आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी कॉलेजों के शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार, पद्धति-वार स्थिति का विवरण **संलग्नक-I** में दिया गया है।

(ख) और (ग): केंद्र सरकार ने आयुर्वेद के लिए एक शीर्ष संस्थान के रूप में आयुष मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए) की स्थापना की है। संस्थान आयुर्वेद के विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट पाठ्यक्रम प्रदान करता है और आयुर्वेद के मौलिक अनुसंधान, दवा विकास, मानकीकरण, गुणवत्ता नियंत्रण, सुरक्षा मूल्यांकन और आयुर्वेदिक चिकित्सा के वैज्ञानिक सत्यापन पर ध्यान केंद्रित करता है। संस्थान में नैदानिक अनुसंधान की सुविधा के लिए 200 बिस्तरों वाला रेफरल अस्पताल है। संस्थान में 9 अंतर-विषयक अनुसंधान प्रयोगशालाओं के साथ 12 स्पेशियल्टी विभाग और 45 स्पेशियल्टी बहिरंग रोगी विभाग हैं। एआईआईए गोवा, जो एक अनुषंगी संस्थान है, भी इसके विशाल 50 एकड़ के परिसर के साथ स्थापित किया गया है, जिसे एआईआईए दिल्ली की तरह निवारक, नैदानिक और तृतीयक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है।

आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (आईटीआरए), जामनगर, गुजरात, जिसे 'आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 2020' के माध्यम से स्थापित किया गया है, आयुष पद्धति में भारत का पहला 'राष्ट्रीय महत्व का संस्थान' है। आयुष मंत्रालय ने देश भर में आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, होम्योपैथी, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा तथा सोवा-रिग्पा पद्धतियों के राष्ट्रीय संस्थानों की भी स्थापना की है। राष्ट्रीय संस्थानों का विवरण **संलग्नक-II** में दिया गया है।

इसके अलावा, केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस), केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरयूएम), केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (सीसीआरएच), केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरवाईएन) और केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद (सीसीआरएस) आयुष मंत्रालय के तहत क्रमशः आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा तथा सिद्ध चिकित्सा पद्धति में अनुसंधान के लिए स्वायत्त संगठन हैं। सीसीआरएएस, सीसीआरयूएम, सीसीआरएच, सीसीआरवाईएन और सीसीआरएस नैदानिक अनुसंधान, औषधि अनुसंधान, औषधीय पादप अनुसंधान, मौलिक अनुसंधान, साहित्यिक अनुसंधान और प्रलेखन, जहां भी लागू हो, के माध्यम से संबंधित चिकित्सा पद्धतियों में वैज्ञानिक मान्यकरण की दिशा में कार्य कर रहे हैं। अनुसंधान परिषदों का विवरण **संलग्न-II** में दिया गया है।

वर्तमान में, आयुष मंत्रालय के पास राष्ट्रीय स्तर के शीर्ष आयुष अस्पताल या अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) और (ङ): आयुष मंत्रालय 2021-22 से आयुर्ज्ञान नामक एक केंद्रीय क्षेत्र योजना कार्यान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य शैक्षणिक गतिविधियों, प्रशिक्षण, क्षमता वर्धन आदि के जरिए बाह्यवर्ती अनुसंधान गतिविधियां तथा शिक्षा प्रदान करके आयुष में अनुसंधान और नवाचार में सहयोग करना है। इस योजना के 03 घटक हैं, अर्थात (i) आयुष में क्षमता वर्धन तथा सतत चिकित्सा शिक्षा (सीएमई), (ii) वित्तीय वर्ष 2021-22 से आयुष में अनुसंधान एवं नवाचार, और (iii) आयुर्वेद जैविकी एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान जिसे वित्तीय वर्ष 2023-24 से योजना में शामिल किया गया है। इस योजना में आयुष चिकित्सकों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं और उद्यमियों की विविध आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है तथा शिक्षा, अनुसंधान एवं नवाचार के माध्यम से आयुष पद्धति को उन्नत करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण विकसित होता है।

*****

संलग्नक-I

देश भर में आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी एवं सोवा-रिग्पा कॉलेजों के शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार, पद्धति-वार स्थिति का विवरण

P

		स्नातक-पूर्व					स्नातकोत्तर			
क्र. सं.	**राज्य**	**आयुर्वेद**	**सिद्ध**	**यूनानी**	**होम्योपैथी**	**सोवा-रिग्पा**	**आयुर्वेद**	**सिद्ध**	**यूनानी**	**होम्योपैथी**
1.	आंध्र प्रदेश	3	-	1	7	-	2	-	-	3
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	-	-	1	-	-	-	-	-
3.	असम	1	-	-	1	-	1	-	-	-
4.	बिहार	10	-	5	15	-	2	-	1	2
5.	चंडीगढ़	1	-	-	1	-	1	-	-	-
6.	छत्तीसगढ़	7	-	-	3	-	2	-	-	-
7.	दिल्ली	3	-	2	3	-	3	-	2	3
8.	गोवा	2	-	-	1	-	2	-	-	-
9.	गुजरात	48	-	-	50	-	9	-	-	15
10.	हरियाणा	15	-	-	1	-	2	-	-	-
11.	हिमाचल प्रदेश	4	-	-	1	1	3	-	-	-
12.	जम्मू और कश्मीर	2	-	4	1	-	1	-	1	-
13.	झारखंड	-	-	-	7	-	-	-	-	1
14.	कर्नाटक	102	-	6	19	1	35	-	3	6
15.	केरल	18	1	1	6	-	12	-	-	3
16.	लद्दाख	-	-	-	-	2	-	-	-	-
17.	मध्य प्रदेश	35	-	4	27	-	8	-	1	6
18.	महाराष्ट्र	131	-	7	71	-	44	-	1	18
19.	मेघालय	2	-	-	1	-	-	-	-	1
20.	ओडिशा	5	-	-	7	-	3	-	-	1
21.	पांडिचेरी	1	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	पंजाब	19	-	1	4	-	4	-	-	1
23.	राजस्थान	18	-	3	12	-	4	-	-	4
24.	सिक्किम	-	-	-	-	1	-	-	-	-
25.	तमिलनाडु	8	16	1	14	-	1	3	1	4
26.	तेलंगाना	2	-	2	6	-	1	-	2	4
27.	उत्तर प्रदेश	98	-	17	16	1	15	-	8	6
28.	उत्तराखंड	20	-	1	2	-	6	-	-	-
29.	पश्चिम बंगाल	4	-	1	12	1	1	-	-	4
कुल		**560**	**17**	**56**	**289**	**7**	**162**	**3**	**20**	**82**

संलग्नक-II

आयुष मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय संस्थानों/अनुसंधान परिषदों का विवरण

राष्ट्रीय संस्थान (12)

1. राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (एनआईए), जयपुर, राजस्थान।
2. आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, (आई.टी.आर.ए.), जामनगर, गुजरात।
3. अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए), गौतम पुरी, सरिता विहार, नई दिल्ली।
4. पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं लोक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (एनईआईएएफएमआर) पासीघाट, अरुणाचल प्रदेश।
5. पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान (एनईआईएएच), शिलांग, मेघालय।
6. राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ (आरएवी), नई दिल्ली।
7. मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (एमडीएनआईवाई), नई दिल्ली।
8. राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान (एनआईएन), पुणे, महाराष्ट्र।
9. राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान (एनआईयूएम), बैंगलोर, कर्नाटक।
10. राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान (एनआईएस), चेन्नई, तमिलनाडु।
11. राष्ट्रीय सोवा रिग्पा संस्थान (एनआईएसआर), लेह, लद्दाख।
12. राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान (एनआईएच), कोलकाता, पश्चिम बंगाल।

अनुषंगी संस्थान

1. अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए), गोवा।
2. राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान (एनआईयूएम), गाजियाबाद।
3. निसर्ग ग्राम, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान (एनआईएन), पुणे, महाराष्ट्र।
4. राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान (एनआईएच), नरेला, दिल्ली।

अनुसंधान परिषदें (5)

1. केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस), 61-65, डी ब्लॉक के सामने, डी' ब्लॉक, जनकपुरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058
2. केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरवाईएन), 61-65, डी' ब्लॉक के सामने, डी ब्लॉक, जनकपुरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058
3. केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरयूएम), 61-65, डी' ब्लॉक के सामने, डी ब्लॉक, जनकपुरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058
4. केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद (सीसीआरएस), तांबरम सेनेटोरियम, जीएसटी रोड, चेन्नई-600 047
5. केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (सीसीआरएच), 61-65, डी' ब्लॉक के सामने, डी ब्लॉक, जनकपुरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058